न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म०प्र० R. 5229-दो/15

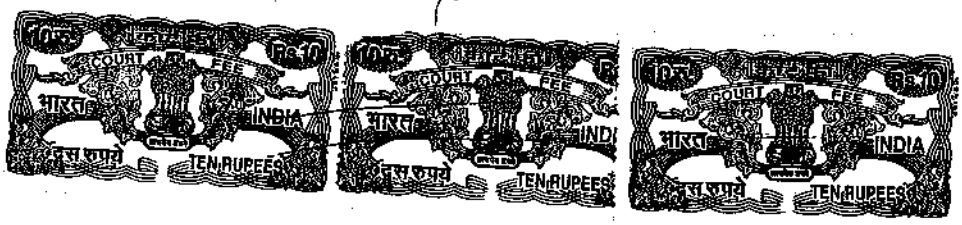

(court fee stamps: COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 ×3)

R 5229-II/15

सफी मोहम्मद पिता मकबूल बख्श उम्र 60 वर्ष, निवासी देकगवा, तह० देवसर जिला सिगरौली म०प्र० --------- आवेदक/निगराकार

Rs 30/-

विरुद्ध

अब्दुल समद पिता मकबूल बख्श निवासी ग्राम देकगवा, तह० देवसर जिला सिगरौली म०प्र० ---------------- गैरनिगराकार

श्री महेन्द्र अग्निहोत्री एड० के द्वारा आज दिनांक 15-12-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० विरुद्ध भूराजस्व संहिता सन् 1959 विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील देवसर जिला सिगरौली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 7अ-70/15-16 आदेश दिनांक 3-12-15 जिसके द्वारा आवेदक का आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 250 :3: का आवेदनपत्र निरस्त कियागया।

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी नं० 24, 25 व 13 जो कि चक आबादी की भूमियां है, तथा उपरोक्त आराजियात मे प्रार्थी निगराकार व अन्य लोगो के मकान बने हुये आवेदक द्वारा भूमि 25 के अंश भाग मे मकान का निर्माण चालू किया तब आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कैसदा धारा 250 के साथ साथ धारा 250 :3: का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक आवेदक द्वारा जो मकान का निर्माण करहा है, उसमे सभी लोगो का हिस्सा है,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5229/II/15 .... जिला सिंगरौली ....

सफी मोहम्मद — अब्दुल समद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	यह निगरानी प्रकरण तहसीलदार देवसर के प्र.क्र. 7/अ-70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 3-12-15 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधि० श्री महेन्द्र आसीवाल के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन कर उन पर विचार किया गया। तत्पश्चात प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 3-12-15 का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अनावेदक के निर्माण कार्य को रुकवाए जाने हेतु स्थगन प्राप्त करने के संबंध में तहसील समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र को तह० द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया कि निर्माण कार्य अना० द्वारा अपने स्वत्व पर ही किया जा रहा है जहां तक रास्ते का प्रश्न है तो आवेदक का जो आने-जाने का रास्ता है वह वर्तमान में प्रचलित है उसमें कोई अवरोध नहीं है और न ही अवरोध उत्पन्न कोई करेगा। ऐसी स्थिति में स्थगन दिए जाने का कोई औचित्य न पाते हुए स्थगन आवेदन निरस्त किया गया और प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु नियत किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विचारण न्याया. द्वारा रास्ता में कोई अवरोध नहीं करेगा इस तथ्य का स्पष्ट आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु नियत कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। तह० द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के तथा सहज न्याय की प्रक्रिया का पालन कर कार्यवाही की जा रही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः तह० का आदेश उचित है जो यथावत रखा जाता है।	

R.5229/11/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.